न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 401/22–23

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

अतुल हेमरोम – विक्रेता

अलबर्ट धान – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
02.01.23	**आदेश**	

आवेदक अतुल हेमरोम पिता स्व0 जोवकिम हेमरोम ग्राम–कोसाम्बी, थाना–कर्रा, जिला खूँटी ने अलबर्ट धान पिता जागरन धान ग्राम–कौंटी, पो0–लरता, थाना–कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)
कोसाम्बी	86	1	707	0.30

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं0 0281941907 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 780 दिनांक 29.11.2022 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि विक्री केवाला पट्टा सं0 8058 दिनांक 18.10.1966 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम मझीयस मालिक नाम लगान पाने वाला ठाकुर महेन्द्र नाथ सहदेव हैं। पंजी II के अनुसार अलवीस मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकवा 2.12 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकवा 1.06 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022–23 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 1957.00(एक हजार नौ सौ संतावन) रूपये प्रति डीसमील है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अतुल हेमरोम पिता स्व0 जोवकिम हेमरोम को अलबर्ट धान पिता जागरन धान के साथ ग्राम कोसाम्बी खाता सं0 1 खेसरा संख्या 707 कुल रकवा 0.30 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर दर 1957.00(एक हजार नौ सौ संतावन) रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

02/01/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

02/01/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

780
29/11/22

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
कर्रा।

विषयः—धारा—46 सी०एन०टी० एक्ट के अन्तर्गत जमीन से संबंधित जाँच—प्रतिवेदन के संबंध में।

बिक्रेता श्री / श्रीमती— अतुल हेमरोम

पिता / पति— स्व० जोवाकिम हेमरोम ग्राम— कोशम्बी थाना— कर्रा

जिला — खूँटी ने निम्नलिखित भूमि को क्रेता श्री / श्रीमती — अलबिन दास

पिता / पति — ज्ञानरंजन दास ग्राम— औंडी थाना— कर्रा

जिला— खूँटी के साथ भूमि बिक्री की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
कोशम्बी	86	01	707	0.30 एकड़

अतः जाँच प्रतिवेदन विन्दुवार निम्न प्रकार से है :—

1. आर0 एम0 वाद संख्या :— 40/22-23
2. बिक्रेता का नाम एवं पूरा पता :— अतुल हेमरोम ग्राम— कोशम्बी थाना कर्रा जिला— खूँटी

3. क्रेता का नाम एवं पूरा पता :— अलबिन दास पिता ज्ञानरंजन दास ग्राम औंडी थाना कर्रा जिला— खूँटी

4. बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण :—

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
कोशम्बी	86	01	707	0.30 एकड़

5. प्रस्तावित जमीन का खतियानी रैयत का नाम – मनोरंजन मालिक नाग तथा पनि नाग, पाकुर मलिक नाग वगैरा।

6. खतियानी रैयत के साथ आवेदक का संबंध – पोता।

7. पंजी– 2 रैयत का नाम एवं रैयत के पास कुल जमीन – अल्बीस मुंडा 2.12 एकड़

8. पंजी– 2 रैयत के साथ आवेदक का संबंध – पोता।

9. आवेदक के हिस्से में कितना जमीन है – 1.06 एकड़

10. जमीन बिक्री करने में आवेदक के हिस्सेदारों को कोई आपति है या नहीं – नहीं।

11. बिक्रेता का वंशावली –

अल्बीस मुंडा
|
स्व० जोनसन हेमरोम — स्व० सुलेमान हेमरोम
|
अनुप हेमरोम

V.O. 02/01/23
भूमि सुधार उप समाहर्ता खूंटी

12. जमीन का मालगुजारी कब तक दिया गया है – 2022–23 तक

13. जमीन बिक्री करने के बाद आवेदक के पास कितनी जमीन बचता है – 0.76 एकड़

14. जमीन का बिक्रय मूल्य –

15. बिक्रेता एवं क्रेता किस जाति का सदस्य है एवं किस थाना के निवासी हैं – विक्रेता मुंडा जाति एवं क्रेता उरांव जाति का सदस्य है एवं करा थाना के निवासी है।

16. प्रस्तावित जमीन पर कोई विवाद चल रहा है या नहीं – नहीं

17. मंतव्य :–

मंतव्य
आवेदित भूमि मौजा कोयलांगी के खाता 120 से संबंधित है। आवेदित भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है उक्त खाते के अलावे भी दूसरे खाते में आवेदक का भूमि है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनु० जा० जन० के सदस्य एवं एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।
अतः भूमि बिक्री की अनुमति दी जा सकती है। (हस्ताक्षर) R.S.I.

CO. Karra
आवेदित भूमि विक्रेता की खतियानी भूमि है। हल्का कर्मि. के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि विक्रय अनुमति हेतु अनुशंसित एवं अग्रसारित।

Digitally signed by Emart
Date: 2024.04.20 15:42:38 +05:30
Location: 192.168.1.104

अनुशंसित एवं अग्रसारित (हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर) 23/1
अंचल अधिकारी
कर्रा